भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4380

20 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ना किसानों के लिए एफआरपी

4380. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का समय पर भुगतान करने के संबंध में कोल्हापुर की चीनी मिलों के कार्य निष्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन सत्रों में कोल्हापुर में कितनी मिलों ने एफआरपी भुगतान में देरी की है;

(ग) इस संबंध में गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार समकालीन समय के आधार पर एफआरपी नीति विनियम बनाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): जी हाँ। महाराष्ट्र सरकार समय-समय पर (पाक्षिक आधार पर) कोल्हापुर जिले सहित राज्य की सभी चीनी मिलों का मूल्यांकन करती है, ताकि गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का समय पर भुगतान किया जा सके।

(ख): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बताया है कि चीनी मौसम (एसएस) 2022-23 और 2023-24 के दौरान, कोल्हापुर जिले की सभी चीनी मिलों ने किसानों को समय सीमा के भीतर एफआरपी का भुगतान कर दिया है। चीनी मौसम 2024-25 के दौरान, कोल्हापुर जिले में 23 चीनी मिलों ने पेराई का कार्य किया है, जिनमें से 15 चीनी मिलों ने एफआरपी राशि का पूरा भुगतान कर दिया है और 08 चीनी मिलों का 38.81 करोड़ रुपये का एफआरपी भुगतान नहीं किया है।

...2/-

(ग): चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान स्थिति की आवधिक आधार पर निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियां सौंपी और निहित की गई हैं तथा भुगतान में विलंब होने पर उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

यदि एफआरपी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या विलंब होता है, तो राज्य सरकार द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी करके संबंधित कारखाने के खिलाफ गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 (8) के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भुगतान न करने वाली चीनी मिलों को भुगतान न करने के कारणों का आकलन करने हेतु आरआरसी नोटिस जारी किए गए हैं। उपरोक्त 8 चीनी मिलों के लिए महाराष्ट्र सरकार के चीनी आयुक्त के समक्ष दिनांक 8/8/2025 को सुनवाई आयोजित की गई है। उनकी लिखित मांग के अनुसार, उन्हें एफआरपी का बकाया भुगतान करने की समय सीमा दी गई है और अगली सुनवाई दिनांक 9/9/2025 को निर्धारित की गई है।

(घ): वर्तमान में ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है। वर्तमान नीति, निर्धारित समयावधि में एफआरपी के समय पर भुगतान को विनियमित करने के लिए उचित है।

*****